सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निदेशालय स्वास्थय सुरक्षा एवं विनियमन

1 कोई भी भारत का नागरिक जन सूचना अधिकारी को आवेदन करके किसी भी लोक प्राधिकारी से संबधित जानकारी दस्तावेज व अभिलेख प्राप्त कर सकता है ।

2 आवेदन करता को आवेदन के साथ 10/–रू0 आवेदन शुल्क अदा करना होगा।

3 सूचना निम्नलिखित फीस की दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी

सूचना का विवरण	मूल्य/फीस रू0 में
क) आवेदन सहित फीस	10/–रूपये प्रति आवेदन
ख) जहां सूचना प्रकाशन मूल्य के रूप मे उपलब्ध है	मुद्रित मूल्य पर
ग) प्रकाशित मूल्य से अन्यथा के लिए	ए–4 आकार का उससे छोटा पृष्ठ के लिए 2/– रूपये प्रति पृष्ठ और बड़े आकार के पृष्ठ के वास्तिविक मूल्य न्यूतम 20/– रूपये के अध्यधीन।
घ) जहां सूचना एलेक्ट्रोनिक स्वरूप में उपलब्ध है और एलेक्ट्रोनिक स्वरूप में दी जानी है जैसे फ्लॉपि व सीडी इत्यादि	50/– रू0 प्रति फ्लॉपि व 100/– रू0 प्रति सीडी।
ड़) अभिलेख/दस्तावेज़ के निरिक्षण के लिए फीस	30 मिनट या उसके भाग के लिए 20/– रू0।

4 भुगतान कोष चालान मांगे ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से होगा।

5 गरीबी रेखा में आने वाले व्यक्तियों को आवेदन शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

6 सूचना अस्वीकार करने या आवेदक का संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में आवेदन 30 दिनों के अंदर अपील प्राधिकारी को सूचित कर सकता है। दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग में दायर की जा सकेगी अपील दायर करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है।

7 सूचना निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार की जा सकती है:–

क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा रणनीति, वेज्ञानिक या निदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या किसी अपराध को करने का उदीयपन होता है।

ख) सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद किया गया है या जिसके प्रकाशन से न्यायालय का अपमान होता है।

ग) सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विशेषाधिकार का भंग करीत होगा।

घ) सूचना जिसमें वाणिज्यक विश्वास व्यापार गोपनीयता या बोधविक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है।

ड़) किसी व्यक्ति को उसकी वेशवासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक की सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना को प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के विश्वास में दी गयी किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा।

ज) सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की किया में अड़चन पड़ेगी।

झ) मंत्रिमंडल से कागजपत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है:–

परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्च्य उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्च्य किए जाने और विषय के पूरा या पश्च्यात जनता को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

परंतु यह ओर कि वह विषय जो इस धारा में विनिदिष्ट छूटों के अंतर्गत आते है प्रकट नहीं किए जाएंगे।

अपील प्राधिकारी
निदेशक
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–2

जन सूचना अधिकारी एवं ए0डी0सी0
स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
हिमाचल प्रदेश शिमला–2
(0177–2621383)